उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक 566 / गोपनीय / 2020 जबलपुर, दिनांक 06 जून, 2020
दो–2–1 / 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :–

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	**श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर),** अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से, श्री संजीव कुमार पाण्डेय के स्थान पर।
2	**श्री अजय कुमार सिंह,** चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से, श्री अवधेश कुमार (गुप्ता) के स्थान पर।
3	**श्री शरत् चन्द्र सक्सेना,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना।	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से, डॉ0 वैभव विकास शर्मा के स्थान पर।
4	**डॉ0 वैभव विकास शर्मा,** षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से, श्री शरत् चन्द्र सक्सेना के स्थान पर।
5	**श्री दिनेश देवड़ा,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की हैसियत से, श्री शिवकांत पाण्डेय के स्थान पर।
6	**श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से, कुमारी अनीता बाजपेयी के स्थान पर।
7	**श्री विरेन्द्र कुमार,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से, श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर।
8	**श्री लीलाधर सोलंकी,** पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर।
9	**श्री आत्मा राम टांक,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, विदिशा।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह तोमर के स्थान पर।

टिप्पणी :–

(1) **श्री पदमचंद गुप्ता,** विधि सलाहकार, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल, जिन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 497/गोपनीय/2020, दिनांक 26.05.2020 द्वारा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से पदस्थ किया गया था, को इस अधिसूचना द्वारा "प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल।" के स्थान पर "अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से, श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर) के स्थान पर।" पदस्थ किया जा रहा है।

(2) **रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।**

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

06/06/2020

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 567/गोपनीय/2020
दो–2–1/2020

जबलपुर, दिनांक 06 जून, 2020

प्रतिलिपिः–

1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **भोपाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कि वे **श्री पदमचंद गुप्ता,** विधि सलाहकार, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल, जिन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 497/गोपनीय/2020, दिनांक 26.05.2020 द्वारा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से पदस्थ किया गया था, का इस अधिसूचना के अनुपालन में, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से, श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर) के स्थान पर पदभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें।

3 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **जबलपुर/ मुरैना/ नरसिंहपुर/ सीहोर/ सीधी/ टीकमगढ़/ विदिशा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4 संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

5 चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

7 प्रशासनिक अधिकारी, सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ शिकायत शाखा/ डी0 ए0 गोपनीय/ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

06/06/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल